



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1253]
No. 1253]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 2012/आषाढ़ 13, 1934
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 2012/ASADHA 13, 1934

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2012

का.आ. 1489(अ).-केंद्रीय सरकार, खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (1) के साथ पठित, खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन के रूप में निम्नलिखित आयोजनों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. समर ओलम्पिक
2. कॉमनवेल्थ गेम्स
3. एशियन गेम्स
4. विशेष ओलम्पिक
5. पैरालिम्पिक्स
6. निम्नलिखित खेलों से संबंधित आयोजन -

अ. टेनिस

- (क) डेविस कप - भारत प्रधानता वाले सभी मैच;
- (ख) ग्रांड स्लैम टूर्नामेंट्स - पुरुष एकल, महिला एकल के फाइनल और क्वाटर फाइनल से आगे के भारतीय खिलाड़ियों की प्रधानता वाले सभी मैच; और
- (ग) ग्रांड स्लैम टूर्नामेंट्स - क्वाटर फाइनल से आगे के पुरुष युगल, महिला युगल या मिश्रित युगल में सभी ऐसे मैच जिनमें भारतीय खिलाड़ियों की प्रधानता है।

आ. हॉकी

- (क) विश्व कप - भारत प्रधानता वाले सभी मैच और सेमी-फाइनल तथा फाइनल;
- (ख) चैंपियन्स ट्रॉफी- भारत प्रधानता वाले सभी मैच और फाइनल; और

- (ग) इंदिरा गांधी महिला स्वर्ण कप – सेमी-फाइनल और फाइनल ।
 इ. फुटबॉल
 (क) विश्व कप – आरंभिक मैच, सेमी-फाइनल और फाइनल;
 (ख) एशिया कप – भारत प्रधानता वाले सभी मैच और सेमी-फाइनल तथा फाइनल ; और
 (ग) संतोष ट्रॉफी – सेमी-फाइनल और फाइनल ।

[फा. सं. 16/1/2012-बी.पी.एण्ड एल.]

सुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
 NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2012

S.O. 1489(E).— In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (1) of section 2 of the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (11 of 2007), read with sub-rule (1) of rule 6 of the Sports Broadcast Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Rules, 2007, the Central Government hereby notifies following events as sporting events of national importance, namely:-

1. Summer Olympics
2. Commonwealth Games
3. Asian Games
4. Special Olympics
5. Paralympics
6. Events relating to the following sports, —

A. Tennis

- (a) Davis Cup – All matches featuring India;
- (b) Grand Slam Tournaments, – Finals of Men's Singles, Women's Singles and all matches featuring Indian player from quarterfinals onwards; and
- (c) Grand Slam Tournaments, – All such matches featuring Indian Player in men's doubles, Women's doubles or mixed doubles from quarter finals onwards.

B. Hockey

- (a) World Cup – All matches featuring India and semi-finals and finals;
- (b) Champions Trophy—All matches featuring India and finals; and
- (c) Indira Gandhi Gold Cup for Women—Semi-finals and finals.

C. Football

- (a) World Cup – Opening match, semifinals and finals;
- (b) Asia Cup – All matches featuring India and semi-finals and finals; and
- (c) Santosh Trophy – Semi-finals and finals.

[F. No. 16/1/2012-BP&L]
 SUPRIYA SAHU, Jt. Secy.